अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) मुकाम –शिवगंज (जिला–सिरोही)

बइजलास नीरज मिश्र, आर.ए.एस

प्रार्थीगण		अप्रार्थीगण
रूपाराम पुत्र बाबुराम जाति हरिजन निवासी गोडाना तह0 शिवगंज	बनाम	1.राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय सिरोही 2.तहसीलदार शिवगंज

किस्म मुकदमा राजस्व प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम (4) सीपीसी रा.प्रा.पत्र संख्या 03 /2024

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
12.11.24	प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता श्री महेश अग्रवाल ने यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम (4) सीपीसी का विरूद्ध अप्रार्थीगणों का हमारे समक्ष इस न्यायालय में पेश किया जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए अवगत कराया कि वादी का उक्त वाद दिनांक तारीख पेशी दिनांक 29.05.2024 को वादी व उसके अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने से श्रीमान के न्यायालय द्वारा उक्त मूल वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया था। उक्त तारीख पेशी पर वादी के अधिवक्ता आकस्मिक रूप से आवश्यक पारिवारिक कार्य के चलते बाहर चले गये थे तथा वादी बिमार होने से वादी भी उक्त प्रकरण में तारीख पेशी पर हाजिर नहीं हो पाया। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली निर्णय दिनांक 02.03.2009 फोईनील यूल लिमि0 बनाम जे0 के. उदयपुर उधोग लि0 का पेश किया। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस वादी के गैर हाजिर रहने से उक्त वाद को खारिज करने के आदेश से वादी न्याय प्राप्त करने से वंचित हो जाएगा जिससे न्यायहित में वादी का वाद पुनः स्थापित किये जाने का निवेदन किया गया। हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस न्यायालय द्वारा प्र0 सं0 10/2021 अनवान रूपाराम बनाम राज0 सरकार अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीएक्ट का प्रकरण दिनांक 29.05.2024 को वादी व उनके अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने से अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका था। परन्तु प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 22.08.2024 को पेश किया है जो कि लगभग तीन माह होने की अवधि में पेश किया है। एवं विलम्ब का कोई उचित कारण पेश नहीं किया है। साथ ही प्रार्थी अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना पत्र रिस्टोर के साथ धारा 5 म्याद अधिनियम का कोई प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा वादी के बीमार होने के संबंध में कोई दस्तावेज भी पेश नहीं किये गये है। हमने मूल पत्रावली की आदेशिका का भी अवलोकन किया जिसमें कई पेशीयों पर भी वादी व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे है परन्तु वादी के हित को देखते हुए पत्रावली खारिज नहीं की थी। हमने तहसीलदार शिवगंज संलग्न रिपोर्ट का भी अवलोकन किया जिसमें अंकित है कि उपखण्ड अधिकारी सिरोही के कृषि भूमि आवंटन आदेश कमांक भू/आवंटन/76/62–63 दिनांक 26.06.1976 से वादी के पिता बाबूराम पुत्र राजाजी हरिजन को खसरा नं0 364 रकबा 16 बीघा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी एवं जरिये नामांतरकरण सं0 182 दिनांक 6.5.1981 को वादी के पिता के नाम से गैर खातेदारी दर्ज की गई थी लेकिन आवंटी द्वारा नियमों की शर्तो की पालना नहीं किये जाने व मौके पर कब्जा काश्त नहीं करने से कृषि भूमि आवंटन तहसीलदार शिवगंज द्वारा आवंटन निरस्त करने हेतु रिपोर्ट पेश की थी। न्यायालय श्रीमान जिला कलक्टर महोदय सिरोही द्वारा बाद सुनवाई आवंटन दिनांक 20.06.1990 को निरस्त किया गया। आवंटन निरस्त होने के पश्चात उक्त भूमि पुनः बिलानाम दर्ज की गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का [illegible] प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के तथ्य अलग हो[illegible]त प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। अतः उपयुक्त विवेचन के प[illegible] प्रार्थना के साथ धारा 5 म्याद अधिनियम प्रस्तुत नहीं करने व प्रार्थी के [illegible]ता का आवंटन आदेश आवंटन नियमों की पालना नहीं से खारिज किया [illegible] चुका है। जिससे उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नं0 से कम हो। सहायक कलक्टर शिवगंज सहायक कलक्टर शिवगंज (सिरोही)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.03.04 17:11:59 IST
Reason: SelfAttested